# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2021 / 102

1. श्रीमती मंजीत कौर बेवा श्री कुलवन्त सिंह (पुर्नविवाह पति राजवंश सिंह) जाति ब्राहमण सिक्ख उम्र करीब 62 साल निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज०।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री छबील सिंह (वास्तविक पिता भगतसिंह) जाति ब्राहमण सिक्ख उम करीब 63 साल निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज०।
2. भू आवंटन कमेटी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज०।

– रेस्पोडेण्ट्स

द्वितीय राजस्व अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07–4–2021 न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर जिसके द्वारा रेसपोडेण्ट संख्या – 1 की अपील को बेजा रूप से व खिलाफ कानून स्वीकार किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री विजय सिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से

## निर्णय

दिनांक – 27.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 07.04.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 07.04.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती मंजीत कौर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 07.04.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाण्ट के ससुर रघूवीर सिंह के पाकिस्तान से भारत आने पर उनको भरण पोषण हेतु जमीन आवंटित की गई थी उस जमीन के अलावा उनको साबिक खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बिस्वा भी काश्त के लिए दी गई थी, अपीलाण्ट के ससूर जीवन पर्यन्त उक्त आराजी पर काबिज रहे और रघूवीर सिह के देहान्त के पश्चात उनके पुत्र कुलवन्त सिंह काबिज होकर काश्त करते रहे। कुछ समय पश्चात उक्त कुलवन्त सिंह जो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाण्ट के पति थे, का देहान्त भी हो गया तथा मिन अपीलाण्ट की आयु को देखते हुए अपीलाण्ट का कुलवन्त सिंह के परिवार में ही मोसी के लडके राजवंश सिंह के साथ पुर्न विवाह कर दिया गया, मिन अपीलाण्ट को ससूर रघूवीर सिह व पति कुलवन्त सिंह का तर्का प्राप्त हुआ । इस प्रकार सन 1947 के पश्चात से ही आराजी साबिक खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाकै ग्राम बिलासपुर पर अपीलाण्ट व उसके परिवारजन का कब्जा लगातार चला आ रहा है। तहसीलदार रामगढ द्वारा बाद जांच दिनांक 09–3–2018 का मिन अपीलाण्ट को गैरखातेदार दर्ज किया गया । पत्रावली पर मिन अपीलाण्ट की ओर से अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत समय समय पर दिये गये नोटिसेज की प्रति तथा खसरा परिवर्तनशील भी प्रस्तुत की, तथा घटनाबही तहसीलदार महोदय के द्वारा दिये गये आदेश के आधार पर दिनांक 18–9–2013 को तैयार की गई तथा प्रकरण को जब पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया गया तो तहसीलदार रामगढ द्वारा मौका की जांच की गई जिसमें मिन अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा पाया गया तथा मौका पर आज भी अपीलाण्ट ही काश्त कर रही है जिससे जाहिर है कि रेसपोडेण्ट संख्या 1 का मौका परकोई कब्जा नही है ना था। आराजी खसरा नम्बर 186 व 199 पर काफी अरसे दराज से पूर्व में रघूवीर सिंह, कुलवन्त सिंह व इनके उपरान्त मिन अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 214 पर जोगेन्द्र सिंह का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 215 पर भगतसिंह का कब्जा है तथा 216 व 217 पर भगत सिंह का कब्जा है जो उनको आवंटित की गई तथा रेसपोडेण्ट संख्या – 1 भूपेन्द्र सिंह जो कि उक्त भगतसिंह का ही लडका है जिसका छबील सिंह से कोई सम्बन्ध नही है जो चालाक व्यक्ति है जिसने छबील सिंह का वारीस बनकर गलत रूप से आवंटन आराजी का कराया था हालांकि जो निरस्त हो गया है, जिससे जाहिर है कि रेसपोडेण्ट संख्या – 1 को विवादित आराजी की बाबत कोई हक व अधिकार आयद नही है ना थे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वास्तविकता को नजर अन्दर कर बेजा आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं मौके पर कब्जे की जॉच किये बिना ही रेसपोडेण्ट संख्या–1 की अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–4–2021 को स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने के आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर दिनांक 07.04.2021 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी प्रकरण में प्रार्थी के पिता छबीलसिंह को आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1975 के द्वारा विवादित आराजी आवंटित की गयी थी । प्रार्थी के पिता जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रहे । उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता छबील सिंह को समय–समय पर धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये थे जिनकी उसके पास उक्त पैनल्टी की रसीद भी मौजूद है जिनकी रूह से विवादित आराजी पर अपने पिता छबील सिंह के जीवन काल से कब्जा बदस्तूर साबित होता है। अपीलांट ने कुलवन्त सिंह की शादी के कुछ दिन बाद ही राजवंश सिंह से घरवासा कर लिया था, जिससे उसके दो संतान भी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वर्गीय कुलवन्त सिंह का वारिस काबिज जायदाद



संभागीय आयुक्त
जयपुर

नहीं माना जा सकता न ही उसका हक व अधिकार विवादित आराजी पर माना जा सकता है । वास्तव में आराजी मुतनाजा से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। न ही उसके पति कुलवन्त सिंह का आराजी मुतनाजा पर कब्जा रहा है। सही तथ्य यह है कि कुलवन्त सिंह की अपीलांट विधिक रूप से वारिस काबिज जायदाद नहीं है तथा अपीलांट के खिलाफ फर्जी वारिस बताने के संबंध में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा कुलवन्त सिंह की एक बहन सुरजीत कौर जो जीवित भी है, बहैसियत वारिस क्लैम कर सकती है। आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार तथ्यों की जांच कर रेस्पोडेण्ट के पिता छबील सिंह को विवादित आराजी का आवंटन किया गया था जो कब्जा आज दिन तक बदस्तूर चला आ रहा है और अपीलांट विवादित आराजी का रिकॉर्डेड गैर खातेदार है। मृतक रघुवीर सिंह पुत्र मन्ना सिंह जाति सिख के वारिसान की जांच रिपोर्ट तलब की गयी । जिसमें कोई तारीख अंकित नहीं है, में अंकित किया है कि मंजीत कौर की शादी 30 साल पूर्व रघुवीर सिंह के पुत्र कुलवन्त सिंह के साथ हुई थी। शादी के दो माह बाद ही कुलवन्त सिंह की मृत्यु हो गयी उसके बाद बिलासपुर में ही राजवंश सिंह ब्राह्मण सिख से पुनर्विवाह कर लिया। वर्तमान में अपीलांट हरवंश सिंह के साथ रहती है जिसके दो पुत्र भी है । सर्वप्रथम तो उक्त रिपोर्ट गलत है क्योंकि इस रिपोर्ट में मंजीत कौर को वर्तमान में हरवंश सिंह के साथ रहना बताया हैं जबकि पुनर्विवाह राजवंश के साथ होना बताया है। रिपोर्ट में किसी भी दस्तावेज से इस बात की पुष्टि नहीं की गयी कि 30 साल पूर्व रैस्पो० सं० 1 की शादी कुलवन्त के साथ हुई हो। यहां तक कि शादी की कोई तारीख दर्ज नहीं की गयी है। मंजीत कौर की वोटर आईडी उसके पति राजवंश सिंह की पत्नी के रूप में बतायी गयी है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। इसलिए रैस्पो० सं० 1 मंजीत कौर स्व० कुलवन्त सिंह की पत्नी रही हो किसी भी रूप में साबित नहीं है। लिहाजा वह कुलवन्त सिंह की पत्नी एवं स्व० रघुवीर सिंह की पुत्रवधू होने के नाते वारिस साबित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका पर्चा पेश किया गया, उसमें अंकित है कि कब्जे के बारे में पूछने पर विवादित आराजी पर मंजीत कौर का ही कब्जा बताया गया है तथा प्रार्थी को वक्त मौका देखे जाने अनुपस्थित रहना बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि मौका देखते वक्त प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी । हल्का पटवारी ने अपीलांट से साझ–बाझ होकर अपने कार्यालय में बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार की है। मौके पर्चे पर किसी स्वतंत्र साक्षी यानि आस पडोस के काश्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है । केवल मात्र रैस्पो० सं० 1 व उसके पति राजवंश सिंह के हस्ताक्षर है। मौके पर्चे पर संबंधित कानूनगों के भी हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहान् का कथन भी गलत है। मंजीत कौर के अलावा अन्य गवाहों के शपथ–पत्र साईक्लोस्टाईल के रूप में हूबहू एक जैसे पेश किये गये है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि हमने पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड का अवलोकन किया व मनन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 06.06.16 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.09.1975

राजस्व आयुक्त
जयपुर

को निरस्त करने हुए प्रकरण में पक्षकरान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर एवं कब्जे की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया एवं तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा कब्जे के संबंध में की गई जॉच बाद अपने निर्णय दिनांक 09.03.2018 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आराजी ख0न0 160 रकबा 15 बिस्वा के धारा 91 के तहत रघुवीरसिह पुत्र मन्नासिंह को सन् 1967 में नायब तहसील कोर्ट से जारी किया गया है तथा संवत् 2024 व 2026 खसरा परिवर्तनशील की नकल अनुसार भी उक्त ख०न० 160 रकबा 15 बिस्वा रकबे पर रघुवीरसिंह का कब्जा काश्त होना उल्लेखित है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नोटिस उक्त खसरा नम्बर का सन् 1990 में भूपेन्द्रसिंह के नाम जारी होना प्रस्तुत किया है। जिससे अपीलान्ट के ससुर रघूवीर सिह का कब्जा आवंटन से पूर्व का होना प्रतीत होता है एवं प्रस्तुत रिकार्ड, नकल घटनाबही दिनांक 25.09.13 मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 06.12.16 व अन्य साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि पर आवंटन पूर्व से ही अपीलान्ट के ससुर का कब्जा रहा हैं एवं उसके पश्चात् अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं तथा रेस्पोडेन्ट सं0– 1 अपने कब्जे काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका हैं। अतः विवादित आराजी ख0न0 160 रकबा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.13 है0 का आवंटन से पूर्व से ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त हैं जो वर्तमान समय भी जारी है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का इससे कोई सम्बंध नही है एवं पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह होने पर भी पत्नि का उसके पति की जायदाय से हिस्सा समाप्त नही किया जा सकता है। अतः विवादित भूमि ख0न0 160 रकबा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.13 है० का गैर खातेदारी अधिकार अपीलान्ट को दिया जाना उचित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.04.2021 को दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलांट का कब्जा प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं होने से रेस्पोडेण्ट की अपील स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित व विधिसम्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दिनांक 07.04.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

**अतः आदेश है किः** अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दिनांक 07.04.2021 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ का आदेश दिनांक 09.03.2018 बहाल किया जाकर अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर